



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 28.08.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त मय चोरी की मोटर साईकिल सहित के गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा वाहन चोरी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त मुर्सलीन पुत्र यासीन नि0 तितरोंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को फर्जी नम्बर प्लेट UP17 P 1957 लगी (चैक करने पर यह नम्बर स्पलेन्डर मोटर साईकिल को होना पाया गया) के साथ चिरोडी पेट्रोल पम्प के पास से दिनांक 27.08.2021 को से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

मुर्सलीन पुत्र यासीन नि0 तितरोंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

1.मु0अ0स0 1212/21 धारा 411/482 भादवि थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0 नि0 श्री रामप्रताप राघव
2. है0का0 1336 कृष्ण कुमार

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चोरी की मोटर साईकिल टीवीएस अपाचे जिस पर फर्जी न0 प्लेट नंबर UP17 P 1957 प्लेट लगी सहित बरामद होना (बरामद मो0सा0 अभी तक किसी थाने क्षेत्र से चोरी होना प्रदर्शित नहीं है)



थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त मय चोरी की मोटर साईकिल सहित के गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त शोएब पुत्र गुलफाम नि0 मंशा राम

मन्दिर के पास थाना लोनी गा0बाद को नसबन्दी तिराहे के पास चौकी क्षेत्र डाबर तालाब से दिनांक 28.08.2021 को से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

शोएब पुत्र गुलफाम नि0 मंशा राम मन्दिर के पास थाना लोनी गा0बाद

1.मु0अ0स0 1211/21 धारा 4/21 आर्म एक्ट थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0 नि0 श्री अमित शर्मा चौकी प्रभारी डाबर तालाब थाना लोनी
2. है0का0 209 अनिल कुमार
3. का0 1379 उम्मेद सिंह

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चाकू नाजायज

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 03 शातिर अपराधीयों को मय एक अदद पिस्टल .32 बोर मय एक अदद तमंचा व 2 अदद कार0 315 बोर व एक अदद चाकू व करंट क्राईम प्रेस का एक फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधीयों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 28.08.21 को चैकिंग के दौरान 03 शातिर अपराधी (1) अनुज शर्मा (2) राहुल चौधरी (3) ऋषभ शर्मा को एक अदद पिस्टल .32 बोर मय एक अदद तमंचा व 2 अदद कार0 315 बोर व एक अदद चाकू व करंट क्राईम प्रेस का एक फर्जी आई कार्ड के साथ आर्मी ग्राउन्ड से थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका

अभि0गण द्वारा पूछताछ पर बताया कि साहब हमें हथियार रखने का शौक है। और ये प्रेस का फर्जी आई कार्ड हम लोग पुलिस से बचने के लिए अपने पास रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1- अनुज शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा, नि0 म0नं0 93/17 कल्लूपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष
- 2- राहुल चौधरी पुत्र स्व0 श्री सुभाष चौधरी, नि0 म0नं0 373 जटवाडा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष
- 3- ऋषभ शर्मा पुत्र सुनील शर्मा नि0 म0नं0 322 जटवाडा डासना गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1-मु0अ0स0 1183/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम अनजु शर्मा

2-मु0अ0स0 1184/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम राहुल चौधरी

3- मु0अ0स0 1185/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम ऋषभ शर्मा

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद पिस्टल .32 बोर व एक अदद फर्जी प्रेस आई कार्ड (करंट क्राइम) अभियुक्त अनुज शर्मा बरामद
2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कार0 अभियुक्त राहुल चौधरी से बरामद
3. एक अदद चाकू नाजायज अभियुक्त ऋषभ शर्मा से बरामद



थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी गए मोबाइल सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.08.2021 को वादी श्री विशाल पुत्र श्री राम वीर नि0 गांव पैगा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद मे अपनी मोटरसाइकिल न0 UP14EB 9436 व मोबाइल चोरी होने के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर मु0अ0स0 826/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुकदमे की घटना पर त्वरित कार्यवाही व घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 27.08.21 को चौकी क्षेत्र चुंगी न0 03 पर मामूर थे तो जरिये मुखबिर सूचना पर समय करीब 21.00 बजे BSNL चौराहे पर अभियुक्त शहजाद पुत्र मोमीन नि0 मौ0 नूरगंज बैकरी के पास थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के कब्जे से चोरी गया मोबाइल बरामद/गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अभियुक्त के सहअभियुक्त 1. सलमान पुत्र नन्हे नि0 चर्च कमपाउण्ड कस्बा व थाना मुरादनगर तथा अश्वनी उर्फ गुल्टी पुत्र जितेन्द्र सिंह नि0 गाव सेदपुर थाना बलोनी जिला बागपत मय चोरी गई मोटरसाइकिल न0 UP14EB 9436 के फरार हो गए पकडे गए अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब यह मोबाइल तथा एक स्पलेन्डर मोटरसाइकिल मैंने तथा मेरे भागे साथी सलमान व अश्वनी उर्फ गुल्टी ने हम तीनों ने मिलकर 20-25 दिन पर्व पाईप लाईन रोड से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल खडी करके बाथरूम कर रहा था तथा उसका यह फोन जो आपने मुझसे यह बरामद किया है। मोटरसाइकिल की सीट पर रखा था हमने पीछे से आकर फोन तथा मोटरसाइकिल चुरा कर भाग गए थे। आज भी हम तीनों यहाँ पर किसी मोटरसाइकिल व फोन छिनने के इरादे से खडे थे कि आप लोगो ने पकड लिया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा मौके से फरार सलमान व अश्वनी उर्फ गुल्टी की तलाश जारी है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त -

शहजाद पुत्र मोमीन नि0 मौ0 नूरगंज बैकरी के पास थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

प्रकाश मे आए अभियुक्तगण -

1. सलमान पुत्र नन्हे नि0 चर्च कमपाउण्ड कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद
2. अश्वनी उर्फ गुल्टी पुत्र जितेन्द्र सिंह नि0 गाव सेदपुर थाना बलोनी जिला बागपत

बरामदगी

1. एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी



मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम

गांजा बरामद

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.08.2021 को समय करीब 22.45 बजे चैकिंग के दौरान जलालपुर रोड से सहबिस्वा जाने वाली सडक के पास से अभियुक्त सादाब उर्फ बिल्लू पुत्र मेहताब नि0 नाले के पास नूसगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त –

राकेश पुत्र जयपाल नि0 ग्राम भौवापुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुबोध-

मु0अ0सं0 907/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

बरामदगी

1. 1 किलो 100 ग्राम गांजा



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभि0 गिरफ्तार व कब्जे से 1 जिन्दा कारतू व 1 तमंचा 315 बोर अवैध बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 27.08.21 को समय 20.30 बजे ताहिरपुर कट डीएलएफ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से **अभि0 आशू उर्फ आस मोहम्मद पुत्र जलालुद्दीन नि0 एफ 168 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र 25 वर्ष** को मय **1 जिन्दा कारतू व 1 तमंचा 315 बोर अवैध** सहित गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 उपरोक्त से बरामद तमंचा व कारतूस रखने का लाइसेंस मांगा तो नहीं है। जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

आशू उर्फ आस मोहम्मद पुत्र जलालुद्दीन नि0 एफ 168 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र 25 वर्ष

अभि0गण का अपराधिक इतिहास व पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0 1785/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम **आशू उर्फ आस मोहम्मद** उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामगोपाल सिंह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. है0का0 580 ताहिर खान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. का0 1215 किरनपाल थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. का0 2084 रंजीत सिंह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:- **1 जिन्दा कारतू व 1 तमंचा 315 बोर अवैध**

थाना कविनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1435/21 धारा 436/506 भादवि के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1435/21 धारा 436/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद के अभियोग में वांछित अभियुक्त विवेक कुमार उपाध्याय पुत्र विजय कुमार निवासी 1439 विवेकानन्द नगर थाना कविनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर HDB बैंक नेहरु नगर II गाजियाबाद से दिनांक 27.08.21 समय 18.00 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त विवेक कुमार उपाध्याय शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा वादी मुकदमा श्री अरुण कुमार शुक्ला निवासी बी 10 महेन्द्र एन्कलेव शास्त्रीनगर को जान से मारने की धमकी दी गयी तथा पार्किंग में खड़ी कार में आग लगायी गयी जिसमें सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कविनगर पर लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 1435/21 धारा 436/506 भादवि पंजीकृत कराया गया थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

विवेक कुमार उपाध्याय पुत्र विजय कुमार निवासी 1439 विवेकानन्द नगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विवेक कुमार उपाध्याय

1.मु0अ0सं0 1435/21 धारा 436/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा 420 के अभियोग में वांछित अभियुक्तो गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 569/2021 धारा 420/467/468/471/406 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद के अभियोग में वांछित अभियुक्तो (1) देवेन्द्र मित्तल पुत्र स्व0 अमीचन्द निवासी ॥ सी 134 नेहरु नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद व (2) कामिनी मित्तल पत्नी देवेन्द्र मित्तल निवासी उपरोक्त उनके घर ॥ mr 134 नेहरु नगर गाजियाबाद से आज दिनांक 28.08.21 समय 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिनके द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखा देकर किराये के घर मे अपने नाम से बिजली संयोजन प्राप्त किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

- (1) देवेन्द्र मित्तल पुत्र स्व0 अमीचन्द निवासी ॥ सी 134 नेहरु नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 62 वर्ष ।
- (2) कामिनी मित्तल पत्नी देवेन्द्र मित्तल निवासी उपरोक्त उम्र 56 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

1.मु0अ0सं0 569/2021 धारा 420/467/468/406 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अभियुक्तो के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।



न्यायालय आयुक्त मेरठ मण्डल के नाम का फर्जी कूटरचित जिला बदर स्थगन आदेश के सम्बन्ध में थाना लोनी पर

पंजीकृत अभियोग में वांछित व गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 27.08.2021 को उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय द्वारा गुण्डा एक्ट में जिला बदर आदेश दि0 17/06/2021 ना0 न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन गा0बाद वाद संख्या 02264/2021 का फर्जी व कूटरचित स्थगन आदेश (दि0 08/07/2021 न्यायालय आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल मेरठ अपील सं0 2021145698745) जो दि0 25/8/21 के पत्र सं0 836/ आयुक्त न्यायालय -2021 प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय द्वारा की गयी तो उपरोक्त के सम्बन्ध में जिला बदर का कोई स्थगन न्यायालय आयुक्त मेरठ मण्डल द्वारा जारी नहीं किया गया । जाँच में अभियुक्त संजीव नागर पुत्र बलवान सिंह नागर नि0 कच्चा बलरामनगर लोनी गा0बाद ने फर्जी कूचरचित स्थगन आदेश अपने अन्य साथियों के साथ आपराधिक षडयन्त्र कर जान बूझकर मूल आदेश की तरह उसको प्रयोग करना पाया गया । इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 1208/21 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद पंजीकृत किया गया । जिसमें अभियुक्त संजीव नागर वांछित था । उपरोक्त वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण

गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.08.2021 को रात्रि 22.50 बजे अभियुक्त संजीव नागर पुत्र बलवान सिंह नागर नि0 कच्चा बलरामनगर लोनी गा0बाद को कोटक महिन्द्रा वैंक ए टी एम के सामने लोनी तिराहे के पास चौकी क्षेत्र लोनी तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका -

अभियुक्त संजीव नागर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार, प्रयोग करना, महिलाओं के साथ छेड़खानी करना व रंगदारी मांगना।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण -

संजीव नागर पुत्र बलवान सिंह नागर नि0 कच्चा बलरामनगर लोनी गा0बाद

अभि0 के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0- 1208/21 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

मु0अ0सं0 -1210/21 धारा 3/4 यू0पी0 गुन्डा अधिनियम थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0- 1013/20 धारा 452/354/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 - 2364/18 धारा 386 भादवि थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 - 2782/18 धारा 323/354ख/506 भादवि थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 - 2537/18 धारा 406/504/506 भादवि थाना लोनी गा0बाद



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 08 माह से फरार चल रहे 01 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 28.08.2021 को चेकिंग के दौरान 01 शातिर अपराधी पप्पू उर्फ प्रमोद कुमार को रोजी कालोनी, सैक्टर 12 थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अपने सहअभियुक्त कविन्द्र सिंह के साथ मिलकर लोगो को गांजा व अन्य मादक पदार्थ बेचना व जुआ / सट्टा खिलाने का काम करता है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1- पप्पू उर्फ प्रमोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश, नि. ग्राम निसुरखा, थाना बीबीनगर, बु.शहर हाल पात, म.नं. 104, रोजी कालोनी, सैक्टर 12, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गा.बाद

गिरफ्तार अभिगण का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 1618/20 धारा 8/20 NDPS Act. व 120 बी भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद

2-मु0अ0सं0 1619/20 धारा 13 जुआ अधि0 व 120 बी भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद



जनपदीय साइबर सेल एवं थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ ई0पी0एफ0 के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 33 एटीएम, एक स्वीफ्ट कार, 06 पेन कार्ड 05 आधार कार्ड, 09 चेक बुक, 08 पास बुक, 23 डाटा पेपर शीट आदि बरामद

दिनांक: 28/08/20

21

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध, श्रीमान क्षेत्राधिकारी साइबर सेल के कुशल निर्देशन में जनपदीय साइबर सेल व थाना इन्द्रापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 28/08/2021 को 03 शांति अभियुक्तगणों को खोडा अन्डरपास क्षेत्र से समय प्रातः 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से भारी मात्रा में एटीएम एवं मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज बरामद हुये हैं अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना-इन्द्रापुरम पर मु0अ0सं0-1978/2021 धारा-406/ 420/467/468/ 471/ 34/ भा0द0वि0 व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग 2012 से फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर, बैंक खाता खुलवाकर तथा इन्टरनेट के माध्यम से सरकारी रिटायर कर्मचारियों/अधिकारियों का डाटा प्राप्त करके फर्जी नम्बरों से कॉल करते हैं तथा स्वयं को ई पी एफ ओ अधिकारी बताकर रिटायर कर्मचारी को ई पी एफ मैच्योरिटी (फण्ड दिलाने) के नाम पर ठगी करते हैं।

हम लोग अधिकांशतः महाराष्ट्र, गुजरात राज्य के लोगो के साथ ठगी करते है। धर्मेन्द्र सैलरी पर लडकियो व लडको को रखकर कालिंग कराने का कार्य करता है। ये लोग अब तक लगभग दस हजार लोगो से अरबो रूपयो की ठगी कर चुके है।

अभियुक्त घनश्याम व राहुल गैंग के लीडर है जो डाटा,सिम व खाते उपलब्ध कराकर धर्मेन्द्र को देते है तथा खातो के एटीएम अपने पास रखते है ठगी का पैसा निकालने के बाद धर्मेन्द्र व उसकी कालिंग टीम को सैलरी देकर तथा अन्य खर्चे को काटकर दोनो अभियुक्त ठगी के पैसे को बराबर-2 बाँट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का विवरण:-

1. राहुल पुत्र मंगल सिंह निवासी फलैदा बांगड थाना रबूपुरा नोएडा हाल पता आजाद विहार खोडा गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष
2. घनश्याम पुत्र हरिविलास सिंह निवासी महिलाम थाना अन्दरा ठारी मधुबनी बिहार हाल पता सलारपुर सेक्टर-49 नोएडा उम्र-30 वर्ष, (2015 मे हैदराबाद से ठगी मे जेल जा चुका है)
3. धर्मेन्द्र पुत्र राम अवतार सिंह निवासी हजोली थाना गडवार बलिया उत्तर प्रदेश हाल पता हरोला थाना सेक्टर -20 नोएडा उम्र-30 वर्ष ,

बरामदगी का विवरण:-

1. 14 अदद मोबाइल फोन
2. 33 अदद एटीएम
3. एक अदद स्वीफ्ट कार
4. 06 अदद पेन कार्ड
5. 05 अदद आधार कार्ड
6. 09 अदद चेक बुक
7. 08 अदद पास बुक
8. 02 अदद मोहर
9. 03 अदद वोटर आई डी
10. 23 अदद डाटा पेपर शीट



**थाना लिंक्रोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा वर्ष 2020 से मु0अ0सं0
0018/2020 धारा 409 भादवि में लगातार फरार/वाँछित चल रहा 01 शातिर
अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वाँछित अपराधियों व चोरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय तथा प्रभारी निरीक्षक थाना लिंक्रोड जनपद गाजियाबाद के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 28.08.2021 को समय 09.00 बजे लेवर चौक नियर नेहरू गार्डन थाना खोडा से मुखविर की सूचना पर मु0अ0सं0 0018/2020 धारा 409 भादवि में वाँछित अभियुक्त आदेश कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम बहादुरपुर थाना सिखैडा जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता तौमर का मकान नं0 50 नेहरू गार्डन थाना खोडा गा0बाद उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभि0 आदेश सीएमएस कम्पनी में कस्टोडियन (एटीएम मशीनों में केश डालने का कार्य) का कार्य करता था । अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर बैंको का 3 लाख 61 हजार रुपये गबन किया था तथा अभि0 उपरोक्त वर्ष 2020 से लगातार फरार चल रहा था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आदेश कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम बहादुरपुर थाना सिखैडा जनपद मुजफ्फरनगर
हाल पता

तौमर का मकान नं0 50 नेहरू गार्डन थाना खोज गा0बाद उम्र 27 वर्ष



थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त मय चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड द्वारा रैन्डम चैकिंग अभियान के दौरान दि027.08.21 को ब्रजबिहार पुलिया से चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त सुमित पुत्र सर्वेश निवासी ग्राम ढडरा थाना जानी मेरठ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई थी को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ0नि0 विपिन कुमार

का0 1342 नागेन्द्र दलाल

का0 3799 नीरेश यादव

